

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा / उपा. जोन-8 / 2022 / डी- 4044

दिनांक:-13/9/2022

## कार्यालय आदेश

खातेदार श्री भैक्तराम, किशन लाल, कल्याण सहाय पुत्रान् श्री जोधा को ट्रक टर्मिनल (वेस्ट वे हाईट्स) हेतु द्वितीय—फेज में अवाप्त ग्राम असरपुरा के खसरा नं. 52 व 54 रकबा 3.79 हैं0 भूमि की एवज में 25 प्रतिशत (20 प्रतिशत आवासीय 7580 व0मी0 एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक 1895 व0मी0) के जविप्रा की योजना वेस्ट वे हाईट्स में लॉटरी दिनांक 16.03.2022 के द्वारा आवासीय भूखण्ड संख्या ई—23, ई—48 प्रत्येक का क्षेत्रफल 200 व0मी0, भूखण्ड संख्या ई—209, ई—210, ई—105, ई—106, ई—113, ई—114, ई—103, ई—104, ई—97, ई—98, ई—203, ई—204, ई—93, ई—94, ई—107, ई—108, ई—205 प्रत्येक का क्षेत्रफल 162 व0मी0 एवं ए—176 क्षेत्रफल 596.95 व0मी0 एवं व्यावसायिक भूखण्ड सी—21 क्षेत्रफल 450 व0मी0 एवं सी—73 क्षेत्रफल 450 व0मी0 चिन्हित किये जाकर सशर्त आवंटन पत्र जारी किया गया था। उक्त के आधार पर इनके द्वारा उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका को प्रत्याहरित कर लिया गया है फलतः स्थगन आदेश निष्प्रभावी हो गया है। उक्त तीनों खातेदारों में आपसी सहमित न बन पाने के कारण लॉटरी दिनांक 16.03.2022 द्वारा चिन्हित एवं स्वयं की भूमि में चिन्हित भूखण्डों का तीनों खातेदारों के मध्य सीमित लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाना है। इस आशय की सक्षम स्वीकृति पत्रावली पर प्राप्त कर ली गई है।

अतः इस कार्यालय द्वारा दिनांक 16.03.2022 को निकाली गई लॉटरी में उपरोक्त खातेदारों को लॉटरी द्वारा चिन्हित उक्त भूखण्डों को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

> उपायुक्त जोन–8 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1. अतिरिक्त आयुक्त भूमि, जविप्रा, जयपुर।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
- 3. अधिशाषी अभियंता जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
- 4. खातेदार श्री भैक्तराम, किशन लाल, कल्याण सहाय पुत्रान् श्री जोधा निवासी— ग्राम असरपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

उपायुक्त जोन—8 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर









क्रमांकःजविप्रा / उपा. जोन-8 / 2022 / डी- 1110

दिनांक:- 10/5/2022

## कार्यालय आदेश

खातेदार श्री रामेश्वर शर्मा, शंकर लाल शर्मा, बाबूलाल शर्मा, सुशील पुत्रान् कजोड एवं राजेश, विनोद, कमलेश पुत्रान् श्री गोपाल को ट्रक टर्मिनल (वेस्ट वे हाईट्स) हेतु प्रथम फेज में अवाप्त ग्राम केशोपुरा के खसरा नं. 799, 800, 801, 802 रकबा 0.55 है0 भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 11119/2015 में स्थगन बाबत सहवन से गलत जानकारी होने के कारण खातेदार का वेस्ट वे हाईट्स योजना मे लॉटरी दिनांक 16.03.2022 के द्वारा आवासीय भूखण्ड संख्या ई–89, ई–90, ई–199, ई–200, ई–99 प्रत्येक का क्षेत्रफल 162 व0मी0 एवं व्यावसायिक भूखण्ड संख्या डीसी–114 क्षेत्रफल 30 व0मी0, सी–98 क्षेत्रफल 150 व0मी0, सी–70 क्षेत्रफल 450 व0मी0 चिन्हित किये गये थे। श्री अमित कुड़ी पैनल अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 08.05.2022 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 11119/2015 में स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है।

अतः इस कार्यालय द्वारा दिनांक 16.03.2022 को निकाली गई लॉटरी में उपरोक्त खातेदारों को लॉटरी द्वारा चिन्हित उक्त भूखण्डों को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

> उपायुक्त जीन–8 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1. अतिरिक्त आयुक्त भूमि, जविष्रा, जयपुर।
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
  - 3. अधिशाषी अभियंता जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
  - 4. खातेदार श्री रामेश्वर शर्मा पुत्र कजोड व अन्य, निवासी— ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

उपायुक्त जोन–8 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर